

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
लोक सभा

अतारकित प्रश्न संख्या: 1848
उत्तर देने की तारीख: 11.03.2025

अ.जा. और अ.पि. वर्ग के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना

1848. श्री विष्णु दत्त शर्मा:

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार देश में "अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना" तथा "अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति" नामक दो योजनाएं चला रही है;
- (ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कटनी, पन्ना जिले तथा खजुराहो लोक सभा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के खजुराहो शहर में इस योजना को क्रियान्वित किया है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने तथा इसे सभी जरूरतमंद छात्रों के लिए सुलभ बनाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
- (घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री रामदास आठवले)

(क): सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग "अनुसूचित जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग" तथा "ओबीसी छात्रों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति" योजनाएं चला रहा है।

(ख) से (घ): वर्ष 2023-24 से अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग की योजना पैनलबद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्थापित डॉ. अम्बेडकर सेंटर ऑफ़ एकसीलेंस (डीएसीई) के माध्यम से डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन (डीएफ) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। आज तक, 19 केंद्रीय विश्वविद्यालयों ने डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इन 19 केंद्रीय विश्वविद्यालयों की सूची अनुबंध में दी गई है। मध्य प्रदेश में, यह योजना 2 केंद्रीय विश्वविद्यालयों अर्थात् डॉ. हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के

से क्रियान्वित की जा रही है, जहाँ कटनी, पन्ना जिले और खजुराहो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के खजुराहो शहर के छात्र भी नामांकित हैं।

केंद्र प्रायोजित योजना 'अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति' के अंतर्गत कटनी, पन्ना जिले और खजुराहो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के खजुराहो शहर के छात्रों को भी इस योजना के अंतर्गत कवर किया जा रहा है।

इस विभाग ने व्यापक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे कि पैनलबद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से राष्ट्रीय और क्षेत्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन दिए जाते हैं, सोशल मीडिया पर अभियान चलाए जाते हैं, मंत्रालय की वेबसाइट के साथ-साथ पैनलबद्ध केंद्रीय विश्वविद्यालयों की वेबसाइट पर योजना के दिशा-निर्देश अपलोड किए जाते हैं, योजनाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है और उनकी समीक्षा की जाती है।

अनुबंध

“अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग योजना” के संबंध में लोक सभा में दिनांक 11.03.2025 को उत्तर के लिए नियत अतारंकित प्रश्न संख्या 1848 के भाग (ख) से (घ) में उल्लिखित अनुबंध

क्र.सं.	केंद्रीय विश्वविद्यालयों के नाम
1.	इलाहबाद विश्वविद्यालय, इलाहबाद
2.	मणिपुर विश्वविद्यालय, इंफाल
3.	तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय, तिरुवरूर
4.	नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, शिलांग
5.	हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय, धर्मशाला
6.	केरल केंद्रीय विश्वविद्यालय, कासरगोड
7.	बी.एच.यू., वाराणसी
8.	हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय, महेंद्रगढ़
9.	पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा
10.	राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय, अजमेर
11.	महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा
12.	गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधी नगर
13.	डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, म.प्र.
14.	एचएनबी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर, उत्तराखंड
15.	बाबासाहेब भीम राव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय (बीबीएयू), लखनऊ
16.	ओडिशा केंद्रीय विश्वविद्यालय
17.	तेजपुर विश्वविद्यालय, असम
18.	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, मध्य प्रदेश
19.	आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय
